N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0343 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/12/2025 15:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/12/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/12/2025 15:52:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** MEERA KESHV MAHILA SHIKSHK PARISHIKSHAN MAHAVIDHYALAY, GRAM MADAU/MANSORAVER,, TEHASIL SANGANER,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NAIRAZ SAHU

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** UMMED SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	MIRAZA BAVARI ROAD, SHASTRI NAGAR, MADANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MIRAZA BAVARI ROAD, SHASTRI NAGAR, MADANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	BHANWAR KANWAR		पत्नी:MAHAVEER SINGH RAJAWAT	1. GARH VATIKA,VATIKA,SANGANER,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है दिनांक 22.12.2025 को परिवादिया श्रीमती नैराज साहू पत्नी श्री उम्मेद सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी- किशनगढ मिर्जा बावडी रोड शास्त्री नगर अजमेर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर एक हस्तलिखत रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. प्रथम जयपुर के नाम से सम्बोधित शुदा इस आशय की प्रस्तुत कि की मैं प्रार्थीया नैराज साहू पुत्र श्री गोरधन साहू जाति तेली उम्र 21 साल निवासी- किशनगढ मिर्जा बावडी रोड शास्त्री नगर की रहने वाली हूं मेरे पिता खेती का कार्य करते है तथा मां गृहणी है। मैने B.A. Graduation 2025 कन्या महाविद्यालय किशनगढ से की थी। जून 2025 में PTET एग्जाम दिया था। रोल नं.35102644 थे मुझे काउंसलिंग 2nd लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था। मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) जिला जयपुर में मैने एडमिशन लिया था एगजाम शुल्क -27000 ई मित्र के माध्यम से जमा करवाये तथा सेमेस्टर फीस 5000 ई-मित्र के माध्यम से जमा कराये थे। इसके अलावा 4000 रुपये कीट के जमा करवाये थे। इसके अलावा मेरी राशि कॉलेज संस्था मे बाकी नही थी। मै कॉलेज के छात्रावास में भी निवास नही करती हूं। मै प्रवेश दिनांक से कॉलेज में अध्ययनरत रही हूं मेरी सास का एक्सीडेंट होने के कारण व्यस्त रही थी जिसकी सूचना मैने कॉलेज संस्थान में दी थी मुझे मेरी उपस्थिति शॉर्ट बताकर उपस्थिति पूर्ण करने के लिए मेरे से 10000 रु रिश्वत राशि की मांग की गई दिनांक 19/12/2025 को मे उस कॉलेज में जाकर श्रीमती भंवर कंवर से मिली तो उन्होने उपस्थिति पूर्ण करने के लिए 10000 राशि की मांग की गई मेरे द्वारा गरीबी का हवाला देकर राशि देने में असमर्थता दिखाई तो उनके द्वारा मेरे से 5000 रिश्वत राशि की मांग की गई और पूर्व में भी कई छात्राओं से उनकी उपस्थिति शोर्ट दिखाकर रिश्वत राशि की मांग की गई है और प्रार्थीया श्रीमती भंवर कंवर निदेशक को ऑबलिक संचालक मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) को रिश्वत राशि नही देना चाहती हूं, रिश्वत लेते हुई को रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं मेरा श्रीमती भँवर कंवर से कोई भी उधार का लेन देन शेष नही है ना ही कोई आपसी रंजिश है रिर्पोर्ट करती हूं कानूनी कार्यवाही करे एसडी नैराज साहू।श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया के प्रार्थना पत्र पर एस.यू. प्रथम अग्रिम कार्यवाही का पृष्ठांकन कर मन् अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक को तलब कर परिवादिया का प्रार्थना पत्र मय परिवादिया को सुपूर्द किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक परिवादीया के प्रार्थना पत्र व परिवादिया को लेकर मेरे कक्ष में आयी। परिवादिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में पूछा गया तो परिवादिया ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार कर सही होना बताकर अंकित तथ्यों की ताईद की गयी। परिवादिया से मजीद दरियाफ्त करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया मैनें जून 2025 में PTET का एग्जाम दिया था। जिसमें पास होने पर मेरे द्वारा 5000 रूपये की राशि जरिये ई मित्र राज कोष में जमा करवाये गये तत्पश्चात मुझे मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) जिला जयपुर अलॉट हुआ। जिसके सम्बंध में मेरे द्वारा पुनः 22000 रूपये का शुल्क जमा करवाया गया।इसके बाद मैने उक्त कॉलेज में किट प्राप्त करने के लिये 4000 रूपये नगद शुल्क जमा करवाया था। तत्पश्चात मेरे द्वारा 5000 रूपये प्रथम सेमेस्टर की शुल्क जरिये ई मित्र जमा करवाये थे। मेरा प्रथम सेमेस्टर 08.09.2025 से ही प्रारम्भ हुआ है। दिनांक 19.12.2025 को मै श्रीमती भंवर कंवर से मिली तो उन्होने उपस्थिति पूर्ण करने के लिए 10000 राशि की मांग की गई मेरे द्वारा गरीबी का हवाला देकर राशि देने में असमर्थता दिखाई तो उनके द्वारा मेरे से 5000 रिश्वत राशि की मांग की गई और परिवादिया द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अपनी सत्रीय कार्य फाईल 2025-2027 जमा करवाने गई तो निदेशक श्रीमति भंवर कंवर ने कहां कि आपकी उपस्थिति कम है आप पैसे जमा कराओ फिर आपको आईडी कार्ड मिलेगा जबकी प्रथम सत्र 08.09.2025 से ही प्रारम्भ हुआ है। परिवादिया द्वारा प्रस्तृत प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के आधार कार्ड एवं जमा करवाई गई फीस की रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जो संलग्न कार्यवाही की गयी। परिवादिया के प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में पदस्थपित महिला कानि. के अवकाश पर होने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर से श्रीमति राजबाला हैड कानि. 50 को अग्रिम कार्यवाही हेतु तलब किया गया।तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित श्री यशपाल कानि. 191 को अपने कक्ष में तलब किया गया। परिवादिया श्रीमति नैराज साहू का परिचय श्रीमती राजबाला हैड कानि 50 व श्री यशपाल कानि 191 से करवाया जाकर परिवादिया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के बारे में अवगत कराया

जाकर कार्यालय हाजा की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें एक नया मैमोरी कार्ड कम्पनी Sandisk 32 GB को खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्डर में लगाया गया। परिवादिया को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गयी।तत्पश्चात परिवदिया श्रीमती नैराज साहू को संदिग्ध आरोपिया द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध मे उसे आपस मे होने वाली वार्ता को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। परिवादिया श्रीमती नैराज साहू को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। फर्द सुपूर्दगी पृथक से मुर्तिब कर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। श्री यशपाल कानि. 191 को हिदायत मुनासिब की गई कि जब परिवादिया सत्यापन हेतु संदिग्ध के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द करे। श्री यशपाल कानि. 191 को मय परिवादिया व श्रीमती राजबाला हैड कानि. 50 को प्राईवेट वाहन के साथ गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया।इस समय श्री यशपाल कानि. 191 व श्रीमती राजबाला हैड कानि 50 मय परिवादिया के कार्यालय मे उपस्थित आये तथा मन् पुलिस निरीक्षक को रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री यशपाल कानि ने बताया कि मै, श्रीमती राजबाला हैड कानि 50 एवं परिवादिया के आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर करीब 3.45 पी.एम. पर मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) जयपुर पहुंचे। जहां पर मैनें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादिया श्रीमति नैराज साहू को सुपुर्द कर सत्यापन हेतु रवाना किया। मैं एवं श्रीमति राजबाला अपनी उपस्थित छुपाते हुये कॉलेज के पास ही मूकिम रहे। कुछ समय बाद श्रीमति नैराज साहू कॉलेज से बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद किया जाकर अपने पास ही सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया से पूछा गया तो उन्होने बताया कि मैं व श्रीमती राजबाला, श्री यशपाल के साथ समय 03.00 पी.एम. पर ब्यूरो से प्राईवेट वाहन से रवाना होकर करीब 3.45 पी.एम. पर मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) जयपुर के पास पहुँचे, जहां पर मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर श्री यशपाल कानि ने सुपुर्द किया। मै कॉलेज के अन्दर रवाना होकर श्रीमति भंवर कंवर, निदेशक मैडम से मिली तो मैडम ने मेरी उपस्थिति दर्ज करने के लिये मेरे से 5000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई तथा उन्होने कहा कि मैं अन्य हॉस्टल वालो से उपस्थिति दर्ज करने के बदले 6000 रूपये लेती हूं और कहा कि मै तो आप से केवल 5000 रू ही ले रही हूं, यह पैसे आगे विश्वविधालय में जाते है। इसके अलावा मैने निदेशक मैडम से कहां कि मेरी और परेशानी है, मै 10-15 दिन नहीं आउंगी तो निदेशक मैडम श्रीमति भंवर कंवर ने कहां कि छुट्टी तीन दिन तक ही मिल सकती है। आपकी हाजरी पूरी करने के लिए कल आपको पैसे देने पडेगे। इसके बाद मै कॉलेज से बाहर आई और रिकॉर्डर श्री यशपाल कानि. को सुपूर्द किया और हम सभी कॉलेज से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोडा जाकर रिकॉर्डर में सेव वार्ता को सुना गया तो प्रकट हुआ कि आरोपी महिला श्रीमति भंवर कंवर निदेशक द्वारा परिवादिया से उसकी उपस्थिति दर्ज करने के लिये 5000 रू रिश्वत राशि की मांग की गई है और यह राशि कल देने पर ही परिवादिया से सम्बंधित फाईल लेने के लिये और आईकार्ड जारी करने के लिये कहा गया है। परिवादिया श्रीमति नैराज साहू के कथनो की ताईद होती है। इसके बाद उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रखा गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता का आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता रूपांतरण तैयार किया जावेगा। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 23.12.2025 को 10.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय आने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर रूखस्त किया गया।परिवादिया श्रीमति नैराज साहू ने जून 2025 में PTET का एग्जाम दिया था। इसके बाद परिवादिया को काउंसिलिंग 2nd लिस्ट में कॉलेज मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राम (मदाउ) जिला जयपुर अलॉट हुआ। परिवादिया द्वारा बीएड प्रथम वर्ष 2025 की एग्जाम शुल्क -27000 तथा सेमेस्टर फीस 5000 ई-मित्र के माध्यम से जमा कराये गये। इसके अलावा कीट के 4000 रुपये कैश कॉलेज में जमा करवाये गये तथा परिवादिया कॉलेज में लगातार जाकर अध्ययन कर रही है। इसी दौरान परिवादिया की सास का एक्सीडेंट होने के कारण 8-10 दिन कॉलेज नहीं जा सकी जिसकी सूचना परिवादिया द्वारा कॉलेज संस्थान में पृथक से दी गई। दिनांक 19.12.2025 को परिवादिया द्वारा अपनी सत्रीय कार्य फाईल 2025-2027 कॉलेज में जमा करवाने गई तो निदेशक श्रीमति भंवर कंवर ने कहां कि आपकी उपस्थिति कम है आप पैसे जमा कराओ फिर आपको आईडी कार्ड मिलेगा। जिसकी जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.12.2025 से होना पायी गयी। आरोपिया श्रीमति भंवर कंवर ने परिवादिया से उसकी उपस्थिति दर्ज करने की ऐवज में 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, उक्त रिश्वत राशि दिनांक 23.12.2025 को ही प्राप्त करना रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में बताया जाने से दिनांक 23.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया। दिनांक 23.12.2025 को श्री रविन्द्र कानि. को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान को पाबन्द कर साथ लाने के लिये जरिये कार्यालय पत्रांक 1590 दिनांक 23.12.2025 से अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम पत्र जारी कर निर्देशित कर आवश्यक मुनासिब हिदायत की जाकर रवाना किया गया एवं परिवादिया श्रीमति नैराज साहू उपस्थित कार्यालय आई।श्री रविन्द्र कानि. के साथ स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दाताराम, उम्र-46 वर्ष निवासी ककरारी, पोस्ट बाडोन, पुलिस थाना मांठ, जिला मथुरा (उ.प्र.) हाल बी-14, जेडीए स्टॉफ क्वार्टर्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता (उद्यान-II) प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

व श्री रोहिताष जाटव पुत्र श्री किषोरीलाल, उम्र-40 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 57, वास्तुश्री कॉलोनी, मांग्यावास, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिषाषी अभियंता-9 प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के साथ स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका आपस में परिचय परिवादिया श्रीमति नैराज साहू से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान कर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया श्रीमती नैराज साहू को संदिग्ध संदिग्ध महिला श्रीमती भंवर कंवर, निदेशक/संचालक, मीरा केषव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादिया श्रीमती नैराज साहू ने अपने पास से पांच पांच सौ के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. प्रथम जयपुर को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द मे अंकित करवाये गये । उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर फर्द में अंकित विवरण के उपरोक्तानुसार ही पाये गये। इसके बाद कार्यालय में उपस्थित श्रीमती राजबाला हैडकानि. 50 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच पांच सौ के 10 नोट कुल राशि पांच हजार रूपयों को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती राजबाला हैडकानि. 50 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादिया श्रीमती नैराज साहू की जामा तलाशी श्रीमती ललिता, महिला कानि. 269 से लिवायी गयी, तो महिला परिवादी के पास उसके मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि पांच हजार रूपयों को श्रीमती राजबाला, हैडकानि. 50 से परिवादिया की पहनी हुई जीन्स की दाहिनी जेब में रखवाये गये। इसके बाद श्रीमती राजबाला से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी को अलमारी में वापस रखवाई गई तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था उसको नष्ट किया गया। रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान होने वाली कार्यवाही का दृष्टान्त दिखाया गया। परिवादिया को आरोपिया को रिश्वत राशि देने के पश्चात निर्धारित ईशारा बताया गया। श्रीमती नैराज साहू को रिश्वती राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में पूर्व से लगे मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को लगा होना सुनिश्चित कर चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई, कि संदिग्ध को रिश्वत देने के लिए परिवादिया के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादिया को देना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर उक्त फर्द पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई।दिनांक 23.12.2025 को समय 2.15 पीएम पर मन् अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक, हमराह श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस मय श्री केसर सिंह सउनि, रूपकिशोर कानि 74, श्री महेश कानि 193 एसयू द्वितीय, श्री रविन्द्र कुमार, कानि. 467, श्री संजय कुमार कानि. 325, एसयू प्रथम, श्रीमती ललिता, महिला कानि. 269, अपराध शाखा, एसीबी, जयपुर, मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार, रोहिताश एवं परिवादिया श्रीमति नैराज मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुये। नोटों पर फिनोफ्थलीन पावउर लगाने वाली कार्मिक श्रीमती राजबाला, हैडकानि को कार्यालय में छोडा गया।इसके पश्चात समय 2.53 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक उक्त फिकरावला का रवानाशुदा ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर कॉलेज मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर के पास पहुंचे, जहां पर वाहनों को रोड के साईड में लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर रविन्द्र के द्वारा चालू कर परिवादिया को सुपुर्द किया जाकर परिवादिया एवं श्री रविन्द्र कानि को रिश्वत लेन देन हेतु संदिग्ध के पास रवाना किया किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ते के कॉलेज के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इंतजार हेतु मुकीम हुए। श्री यशपाल कानि. को जरिये दूरभाष तलब किया जाने पर तलविदा उपस्थित आये।दिनांक 23.12.2025 को समय 3.05 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती नैराज साहू ने अपने मोबाईल से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल कर निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय स्वतंत्र गवाह के मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मदाउ के परिसर में प्रवेश किया। विडियों कैमरा श्री यशपाल शर्मा, कानि. से चालू करने के निर्देश दिये गये। कॉलेज परिसर स्थित निदेशक कार्यालय में प्रवेश करने पर एक महिला सामने टेबल के पास कुर्सी पर बैठी थी, जिसके सामने परिवादिया श्रीमती नैराज साहू खडी थी इसके बाद परिवादिया से डिजिटल वाईस रिकार्डर लिया जाकर बन्द किया गया, इसके बाद परिवादिया ने वहां पर मौजूद महिला की तरफ ईशारा कर बताया यही श्रीमती भंवर कंवर, कॉलेज की निदेशक है जिन्होने मेरी उपस्थिति पूर्ण रूप से दर्ज करने के लिये एवं उक्त राशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लोकसेवको को देने के लिए मेरे से 5000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग दिनांक 22.12.2025 को गयी थी जिसके अनुशरण में मै आज दिनांक 23.12.2025 को इनके कार्यालय पर आयी एवं इनको राशि कम करने के लिये कहा तो श्रीमती भंवर कंवर निदेशक ने मेरे से कहा कि पहले ही तेरे

कम कर दिये है, मैने 4000 के लिये कहाँ तो उसने 500 रूपये कम कर मेरे से अभी - अभी 4500/- रूपये की रिश्वत अपने बायें हाथ से लेकर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने पास में रखी टेबल की दराज में रख दिये है। इस पर मैनें उस महिला को अपना विभागीय परिचय पत्र बताते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया तथा ए.सी.बी. टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री महावीर सिंह राजावत, जाति-राजपूत, उम्र-66 वर्ष निवासी गढ वाटिका, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर हाल निदेशक, मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर होना बताया।इस पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित परिवादिया श्रीमती नैराज साहू की ओर ईशारा कर नैराज साहू से 4500/- रूपये की रिश्वत राशि ली है क्या के बारे मे पूछा गया तो श्रीमती भंवर कंवर द्वारा परिवादिया से कोई रिश्वत नहीं लेना तथा रिश्वत राशि नहीं मांगना बताते हुये कहा कि मैने इस बच्ची से हॉस्टल फीस की राशि ली है, कोई रिश्वत नहीं ली। इस पर परिवादिया श्रीमती नैराज ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि श्रीमती भंवर कंवर झूठ बोल रही है मै हॉस्टल में रहती ही नही हू। परिवादिया ने बताया कि "मैं दिनांक 19.12.2025 को श्रीमती भंवर कंवर से मिली तो उन्होने उपस्थिति पूर्ण करने के लिए मेरे से 10000/- रिश्वत राशि की मांग की थी, किन्तु मेरे द्वारा गरीबी का हवाला देकर राशि देने में असमर्थता दिखाई तो उनके द्वारा मेरे से मेरी उपस्थिति पूर्ण करने की एवज में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लोकसेवको को देने के लिए 5000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई और उसके अनुशरण में आज इन्होनें मेरे से मेरे द्वारा कम करवाने पर 500/- रूपये कम करते हुये मेरे से 4500/- रूपये की रिश्वत राशि अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने पास रखी टेबिल की दराज में रखकर प्राप्त की गयी है। परिवादिया श्रीमती नैराज साहू के हमराह भेजे गये कानि. श्री रविन्द्र कुमार से घटनाकम के बारे में पूछा गया तो उन्होने घटनाक्रम की ताईद करते हुए बताया कि मैं परिवादिया श्रीमती नैराज साहू के साथ मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ग्राम-मदाउ के कॉलेज परिसर में स्थित निदेशक कार्यालय में पहुंचा तथा निदेशक कार्यालय के गेट के पास खडा रहकर घटनाक्रम देखा और सुना तो मेरे समक्ष आरोपी महिला श्रीमती भंवर कंवर द्वारा परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से 4500/-रूपये की रिश्वत राशि श्रीमती नैराज साहू से उसकी उपस्थिति पूर्ण करने के लिये प्राप्त की गयी। परिवादिया श्रीमती नैराज साहू और कानि. श्री रविन्द्र कुमार के घटनाक्रम के बारे में बताने के उपरान्त महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर से पुनः पूछने पर चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दिया।इसके पश्चात रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्ठि के लिये ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच के गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया उक्त घोल के रंग को गवाहान को दिखाया जाने पर रंगहीन होना स्वीकार किया गया इसके बाद महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको गवाह द्वारा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर मार्क क्रमश RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। गवाह को घोल का रंग दिखाया जाने पर रंगहीन होना स्वीकार किया गया। इसके बाद महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर के बाये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको गवाह द्वारा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीषीयों क्रमश मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए. सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात परिवादिया के बताये अनुसार उसकी निशादेही से महिला आरोपी के कार्यालय की टेबल की दराज को खोलकर देखा तो वहां पर पांच पांच सौ रूपये के नोट दिखाई दिये, जिसको स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश जाटव से उठवाकर पूर्व में बनायी गयी फर्द पेशकशी नोट से मिलान करवाया गया तो हूबहू होना बताया गया, इसके बाद उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान मन पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान द्वारा फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुसार निम्नलिखित 9 नोट होना पाये गये -क्र.सं. नोट का विवरण नोट का नम्बर1. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 9KK4043062. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 4BW1676083. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 4BW1676074. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 4BW1676065. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 4BW1676056. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 5DA6392217. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 4WQ3673848. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 2CL4374489. एक नोट नम्बरी पांच सौ रूपये 7FL603505उपरोक्तानुसार राशि पांच पांच सौ रूपये के 9 नोट कुल 4500/- रूपये पर सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर पैकिटों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।आरोपी महिला श्रीमती भंवर कंवर द्वारा लौटाया गया पांच सौ रूपये का नोट सीरीयल नं. 9KK404305 परिवादिया श्रीमती नौरज साहू द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया, जिसे सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर पैकिटों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया।इसके पश्चात टेबल की दराज के जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान को एक रूई के फोहे को गीला

कर उससे रगडा गया तथा एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। गवाह को दिखाया जाने पर उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया गया। इसके बाद उक्त रूई के फोये को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, गवाह द्वारा घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर मार्क क्रमश D-1 व D-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा रूई के फोये को एक प्लास्टिक के डिब्बी में रखकर, एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क P अंकित कर थैली को सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर बवज सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।श्रीमती नैराज साहू के हॉस्टल में निवास करने के सम्बन्ध में रिकॉर्ड चाहा जाने पर श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष, पेशा प्राचार्य निवासी ए150, गोविन्द नगर 11 निवारू रोड जयपुर द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्रीमती नैराज साहू उक्त महाविधालय की हॉस्टल की छात्रा नही है। श्री कल्याण सिंह के उक्त छात्रा नैराज साहू के महाविधालय परिचय कार्ड के बारे में पूछा गया तो श्री कल्याण सिंह ने श्रीमती नैराज साहू का मूल परिचय कार्ड प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्ड की अग्रिम अनुसंधान मे आवश्यकता है लेकिन छात्रा का सेमेस्टर खराब नहीं होने एवं उक्त परिचय कार्ड की बीएड सत्र में परीक्षा में आवश्यकता होने से फोटो प्रति करवाकर फोटो प्रति शामिल कार्यवाही की गयी व मूल परिचय कार्ड श्रीमती नैराज साहू को सुपुर्द किया गया।ट्रेप कार्यवाही तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपियाँ श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री महावीर सिंह राजावत, जाति-राजपूत, उम्र-66 वर्ष निवासी गढ वाटिका, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर हाल निदेशक, मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा उक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय की निदेशक के पद पर कार्यरत होकर राज्य सरकार द्वारा बीएड में आंवटित छात्राओ को अपने कॉलेज में प्रवेश लेने पर उनकी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करने के लिये बीएड प्रथम वर्ष सेमेस्टर 2025-2026 के 02 रजिस्टर बनाये जाकर छात्राओ से अवैध रूप से अनुचित दबाव डालकर उनकी उपस्थिति दर्ज करने एवं उपस्थिति पूर्ण बनाये रखने के लिये रिश्वत राशि की मांग अपने लिये एवं विश्वविधालय के लोकसेवको के नाम से परिवादिया नैराज साहू एवं अन्य छात्राओ से की जाना प्रथम दृष्टया सामने आया है ।इसी क्रम में बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा परिवादिया नैराज साहू से उसकी उपस्थिति पूर्ण करने के लिये आरोपियाँ श्रीमती भंवर कंवर ने दिनांक 19.12.2025 को परिवादिया को उनसे मिलने पर आरोपिया द्वारा परिवादिया से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की अनुचित मांग की गयी लेकिन परिवादिया द्वारा गरीबी का हवाला देकर असमर्थता जताने पर परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से उसकी उपस्थिति पूर्ण करने की एवज में दिनांक 22.12.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5000/-रूपये की रिश्वत राशि की अनुचित मांग विश्वविधालय के लोकसेवको के नाम से की गयी तथा हॉस्टल की छात्राओ से 6,000/-रूपये की रिश्वत राशि उनसे ली जाने के बारे में बताया गया एवं परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि कम करने के लिये कहने पर आरोपिया भंवर कंवर द्वारा रिश्वत राशि कम नहीं की गयी तथा उक्त रिश्वत राशि विश्वविधालय को भेजने के बारे में बताया गया। उक्त मांग के अनुसरण आज दिनांक 23.12.2025 को महिला आरोपी श्री भंवर कंवर द्वारा परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से 5000/-रूपये की रिश्वत राशि के स्थान पर परिवादिया द्वारा कम करने की कहने पर 500/- रूपये कम करते हुए शेष 4500/- रूपये की रिश्वत अपने बांये हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथों से गिनकर अपने कार्यालय की टेबल की दराज में रखे गयी जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई तथा महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर के दोनों हाथों का धोवन एवं दराज का धोवण जो हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपिया श्रीमती भंवर निदेशक के पास परिवादिया का उपस्थिति सम्बन्धित कार्य लम्बित होना एवं आरोपिया द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये 02 रजिस्टर संधारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया ।इसके पश्चात ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्रीमती भंवर कंवर की निदेशक पद पर पदस्थापन आदेश एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर बीएड प्रथम सेमेस्टर 2025-26 परिवादिया श्रीमती नैराज साहू की उपस्थिति से सम्बन्धित रिकॉर्ड कार्यालय के पत्रांक स्पेशल-01 दिनांक 23-12-2025 से प्राचार्य , मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर जयपुर को पत्र रिकॉर्ड हेतु दिया जाने पर श्री कल्याण सिंह, प्राचार्य, मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एमकेएमटीटीसी/जेपीआर/2025/2347 दिनांक 23.12.2025 से श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री महावीर सिंह राजावत, निवासी गढ वाटिका , तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निदेशक मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, मदाउ भाकरोटा सांगानेर जयपुर के निदेशक पद के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के पत्र संख्या रजि. नम्बर 187/जयपुर/1971-72 दिनांक 26.09.2022 की प्रमाणित प्रति एवं 02 बीएड छात्रा उपस्थिति रजिस्टर बीएड प्रथम सेमेस्टर 2025-26 की मूल प्रतियां प्रस्तुत की गयी, प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान में उक्त दस्तावेजो की आवश्यकता होने से समय 4.15 पी.एम पर जरिये फर्द पेशकशी एवं जप्ति पृथक से मूर्तिब कर बतौर वजह सूबत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये।इसके पश्चात आरोपी महिला श्रीमती भंवर कंवर द्वारा परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर में परिवादिया की उपस्थिति पूर्ण करने की एवज में पांच हजार रूपये की रिश्वत मांग कर, मांग के अनुसरण में

दिनांक 23.12.2025 को 4500 रूपये रिश्वत राशि दोनां हाथो से प्राप्त कर, अपनी सामने स्थित टेबल की रेक में रखना, दांहिने एवं बांये हाथ की अगुलियों एवं टेबल की रेक जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, के धोवन का रंग गुलाबी होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी महिला श्रीमती भंवर कंवर को अपराध अन्तर्गत धारा 7-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 में संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर समय 4.30 पीएम पर जरिये फर्द पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला श्रीमती भंवर कंवर के पुत्र श्री महिपाल सिंह, वक्त गिरफ्तारी उपस्थित है, जिन्हें सूचित किया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि जो लगातार जारी थी को पृथक से पूर्ण की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना जाने पर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की पुष्टि हूयी ।इसके पश्चात आरोपी महिला भंवर कंवर एवं परिवादिया श्रीमती नैराज साहू के दिनांक 22.12.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन तथा दिनांक 23.12.2025 को रिश्वत मांग के अनुसरण में रिश्वत प्राप्त करते हुए के दौरान हुई वार्ताओं को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं में महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर की आवाज की पहचान परिवादिया श्रीमती नैराज साहू द्वारा की गई है, किन्तु श्रीमती भंवर कंवर की रिकॉर्ड आवाज का मिलान उनकी नमूना आवाज से करवाया जाना आवश्यक होने से इस सम्बन्ध में आरोपी महिला श्रीमति भंवर कंवर को स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा गया तो उन्होने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। महिला आरोपी को पुनः साक्षीगण के समक्ष यह भी बताया गया कि यदि रिकॉर्ड वार्ताओं से मिलान के लिये आप अपनी आवाज का नमूना नहीं देगे तो यह माना जाएगा कि उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आपकी ही आवाज है। इस पर भी महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर ने अपनी आवाज का नमूना देने से पुनः स्पष्ट इन्कार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।इसके पश्चात ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपियॉ श्रीमती भंवर कंवर द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के स्थान का परिवादिया श्रीमती नैराज साहू की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे पृथक से फर्द निरीक्षण घटनास्थल तेयार किया जाकर फर्द शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी।इसके पश्चात मन् अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादिया मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय शील्ड शुदा आर्टीकिल्स एवं रिश्वत राशि मय सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही स्थान मीरा केशव महाविधालय जयपुर से जयपुरिया हॉस्पीटल के लिये रवाना होकर जयपुरिया हास्पिटल एवं एसएमएस जयपुर पहुंचकर आरोपिया भंवर कंवर का मेडीकल मुआयना व चैक करवाया जाकर ब्यूरो मुख्यालय आकर आरोपिया को महिला कानि. की निगरानी में छोडा जाकर डयूटी अधिकारी को निर्देशित किया गया। शील्ड शुदा आर्टीकल्स, रिश्वत राशि व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ट्रेप बॉक्स मे रखा जाकर कार्यालय के मालखाना में रखा गया। परिवादिया एवं स्वतंत्र गवाह को दिनांक 24.12.2025 को कार्यालय पर उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर रूखस्त किया गया।दिनांक 24.12.2025 को परिवादिया, स्वतंत्र गवाह एवं कार्यालय स्टाफ के उपस्थित आने पर कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.12.2025 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 23.12.2025 की फर्द अनुलिपी बनायी जाने के लिये परिवादिया श्रीमती नैराज साहू व स्वतंत्र गवाह के समक्ष कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप की सहायता से सुनकर परिवादिया से पूछ-पूछकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर उपरोक्त रिकॅार्ड वार्ताओं की पहचान परिवादिया नैराज साहू द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाजों में से एक आवाज आरोपिया श्रीमती भंवर कंवर हाल निदेशक मीरा केशव शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर जयपुर तथा दूसरी आवाज श्री सुनील कुमार चालक आरोपिया श्रीमती भंवर की पहचान करना स्वीकार किया। तत्पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी से चार अलग-अलग मेमोरी कार्ड में कॉपी किया गया। वॉईस क्लिप्स मेमोरी कार्डो में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी चार मेमोरी कार्डों को कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग मेमोरी कार्ड मार्क A-1(न्यायालय प्रति), A-2 (अभियोजन प्रति) A-3 (आरोपी प्रति) A-4 आईओ प्रति क्रमशः अंकित किये गये एवं A-4 मेमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी हेतु हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।उक्त मेमोरी कार्डो में से तीन मेमोरी कार्ड मार्क A-1, A-2, A-3 (आरोपी प्रति) को एक सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व मेमोरी कार्ड अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। मार्क A-1, A-2, A-3 को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखा गया। A-4 मेमोरी कार्ड(आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव हैं की एफटीके इमेजर साफ्टवेयर की सहायता से हैश वैल्यू निकाली गई। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का " SD " अंकित किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट के दौरान स्थानीय भाषा का हिन्दी रूपान्तरण मेरे द्वारा परिवादी से पूछ-पूछ कर किया गया।उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.12.2025 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक

23.12.2025 परिवादिया श्रीमती नैराज साहू एवं आरोपिया श्रीमती भंवर कंवर निदेशक मीरा केशव शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर जयपुर के मध्य आमने सामने हुई वार्ता एवं पहचान आवाज श्रीमती नैराज साहू पृथक से तैयार की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी।ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 23.12.2025 को आरोपिया श्रीमती भंवर हाल निदेशक मीरा केशव शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर जयपुर के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की जाने से ट्रेप कार्यवाही के दौरान भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार आरोपिया भंवर कंवर की हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि की कार्यवाही की विभागीय पैनासोनिक केमरे से विडियो रिकॉर्डिंग की गयी थी जो विडियो कैमेरे के मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB में संरक्षित है की फर्द जप्ती 01 मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB विडीयोग्राफी दिनांक 23.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्रीमती भंवर कंवर हाल निदेशक मीरा केशव शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर जयपुर में रिकॉर्डिंग के दौरान उपयोग में लिया गया एवं 02 क्लोन प्रति आज दिनांक 24.12.2025 को पृथक से तैयार की जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को रूखस्त किया गया। जब्त शुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।अब तक की ट्रेप कार्यवाही तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री महावीर सिंह राजावत, जाति-राजपूत, उम्र-66 वर्ष निवासी गढ वाटिका, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर हाल निदेशक, मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा उक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय की निदेशक के पद पर कार्यरत होकर राज्य सरकार द्वारा बीएड में आंवटित छात्राओ को अपने कॉलेज में प्रवेश लेने पर उनकी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करने के लिये बीएड प्रथम वर्ष सेमेस्टर 2025-26 के 02 रजिस्टर बनाये जाकर छात्राओ से अवैध रूप से अनुचित दबाव डालकर उनकी उपस्थिति दर्ज करने एवं उपस्थिति पूर्ण बनाये रखने के लिये रिश्वत राशि की मांग अपने लिये एवं विश्वविधालय के लोकसेवको के नाम से परिवादिया नैराज साहू एवं अन्य छात्राओ से की जाना प्रथम दृष्टया सामने आया है ।इसी क्रम में बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा परिवादिया नैराज साहू से उसकी उपस्थिति पूर्ण करने के लिये आरोपियाँ श्रीमती भंवर कंवर ने दिनांक 19.12.2025 को परिवादिया को उनसे मिलने पर आरोपिया द्वारा परिवादिया से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की अनुचित मांग की गयी लेकिन परिवादिया द्वारा गरीबी का हवाला देकर असमर्थता जताने पर परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से उसकी उपस्थिति पूर्ण करने की एवज में दिनांक 22.12.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5000/- रूपये की रिश्वत राशि की अनुचित मांग विश्वविधालय के लोकसेवको के नाम से की गयी तथा हॉस्टल की छात्राओ से 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि उनसे ली जाने के बारे में बताया गया एवं परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि कम करने के लिये कहने पर आरोपिया भंवर कंवर द्वारा रिश्वत राशि कम नहीं की गयी तथा उक्त रिश्वत राशि विश्वविधालय को भेजने के बारे में बताया गया। उक्त मांग के अनुसरण दिनांक 23.12.2025 को महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर द्वारा परिवादिया श्रीमती नैराज साहू से 5000/- रूपये की रिश्वत राशि के स्थान पर परिवादिया द्वारा कम करने की कहने पर 500/- रूपये कम करते हुए शेष 4500/- रूपये की रिश्वत अपने बांये हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथों से गिनकर अपने कार्यालय की टेबल की दराज में रखे गयी जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई तथा महिला आरोपी श्रीमती भंवर कंवर के दोनों हाथों का धोवन एवं दराज का धोवण जो हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपिया श्रीमती भंवर कंवर निदेशक के पास परिवादिया का उपस्थिति सम्बन्धित कार्य लम्बित होना एवं आरोपिया द्वारा उपस्थिति रजिस्टर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये 02 रजिस्टर संधारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपिया श्रीमती भंवर कंवर का कृत्य अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।(अर्चना मीणा)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.यू.-1 जयपुर।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री महावीर सिंह राजावत, जाति-राजपूत, उम्र-66 वर्ष निवासी गढ वाटिका, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर हाल निदेशक, मीरा केशव महिला शिक्षक प्रिशक्षण महाविधालय, ग्राम मदाउ (मानसरोवर) तहसील सांगानेर, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 418 पर अंकित है। (सतेन्द्र कुमार) महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1937-39 दिनांक 26.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 3- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर । महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAGHUVEER SHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Satyendra Kumar
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/12/2025 16:

Name(नाम): SATYENDRA KUMAR
Rank (पद): IG (Inspector General)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1959				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)